

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2010—आश्विन 9, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1-09-2010-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 2 में, अनुक्रमांक साठ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“साठ—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.”

- (2) अनुसूची में,—

- (क) शीर्षक तेरह—ऊर्जा विभाग के अधीन—भाग (अ) से (ऊ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित भाग तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. ताप विद्युत्
2. जल विद्युत् योजनाएं (10 मेगावॉट से अधिक)
3. परीक्षण तथा वितरण
4. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

1. विद्युत् अधिनियम, 2003
2. विद्युत् नियम, 2005
3. भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910
4. मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960

5. विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948
  6. मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949
  7. भारतीय विद्युत नियम, 1956
  8. मध्यप्रदेश सरकारी विद्युत् उपक्रम (शोध्य राशि वसूली) अधिनियम, 1961
  9. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1974
  10. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981
  11. मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000.
- (इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :
1. विद्युत् निरीक्षणालय
  2. मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग.
- (ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :
1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल.
- (उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :
1. ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियां
  2. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
  3. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
  4. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर
  5. मध्यप्रदेश विद्युत् उत्पादन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
  6. मध्यप्रदेश विद्युत् व्यापार कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
  7. मध्यप्रदेश विद्युत् पारेषण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
- (ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :
1. मध्यप्रदेश विद्युत् निरीक्षणालय की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.
  2. मध्यप्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सेवाएं तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं.”;
- (ख) विद्यमान शीर्षक साठ—अपरंपरागत ऊर्जा विभाग तथा उनसे संबंधित भागों और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, भाग तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “साठ—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग”
- (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :
1. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत (घरों में संस्थापित बायोगैस संयंत्र को छोड़कर)
  2. जल विद्युत् योजनाएं (10 मेगावॉट तक)
  3. ऊर्जा संरक्षण
  4. ऊर्जा दक्षता
  5. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.
- (आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :
1. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
  2. भारतीय विद्युत् अधिनियम, 2003 (अपरंपरागत ऊर्जा से संबंधित प्रावधान).

- (इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :  
कुछ नहीं.
- (ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :  
1. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.
- (उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :  
कुछ नहीं.
- (ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :  
कुछ नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1-09-2010-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-09-2010-एक(1), दिनांक 1 अक्टूबर 2010 का हिन्दी का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 2010

No. F-1-9/2010/One(1) - In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) In rule 2, for serial number “LX” and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

**“LX—New and Renewable Energy.”.**

- (2) In the Schedule,—

- (a) under the heading XIII- Energy Department, for parts (A) to (F) and entries relating thereto, the following parts and entries shall be substituted, namely :—

**(A) Matters of policy dealt within the Department :**

1. Thermal Power.
2. Hydro Electric Schemes (more than 10 Megawatt).
3. Transmission and Distribution.
4. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the finance Department and the General Administration Department), e.g. Appointments, postings, transfers, pay, leave, pension, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

**(B) Acts and rules administered by the Department :**

1. The Electricity Act, 2003.
2. The Electricity Rules, 2005.
3. The Indian Electricity Act, 1910.
4. The Madhya Pradesh Anugyapan Mandal (Vidut) Viniyam, 1960.
5. The Electricity (Supply) Act, 1948.
6. The Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949.
7. The Indian Electricity Rules, 1956.

8. The Madhya Pradesh Government Electrical Undertaking (Dues Recovery) Act, 1961.
  9. The Madhya Pradesh Vidut Praday Upakaram (Arjan) Adhinyam, 1974.
  10. The Madhya Pradesh Upkar Adhinyam, 1981.
  11. The Madhya Pradesh Vidut Sudhar Adhinyam, 2000.
- (C) **Directorates and offices coming under the Department :**
1. Inspectorate of Electricity.
  2. Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.
- (D) **Boards and Corporations set up under Acts :**
1. Madhya Pradesh Electricity Board.
- (E) **Other institutions and bodies not covered under (D) above :**
1. Rural Electric Co-operative Societies.
  2. Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. Jabalpur.
  3. Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. Bhopal.
  4. Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. Indore.
  5. Madhya Pradesh Power Generating Company Ltd. Jabalpur.
  6. Madhya Pradesh Power Trading Company Ltd Jabalpur.
  7. Madhya Pradesh Power Transmission Company Ltd. Jabalpur.
- (F) **Name of the Services, if any, coming under the Department and special service matters, if any:**
1. Class I,II,III, IV services and contingency paid services of Madhya Pradesh Inspectorate of Electricity .
  2. Class I,II,III, IV services and contingency paid services of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.
- (b) for the existing heading LX - Non Conventional Energy Department and parts and entries relating thereto, the following heading, parts and entries shall be substituted, namely:—
- “LX—New and Renewable Energy Department”**
- (A) **Matters of policy dealt within the Department :**
1. Alternet sources of energy (excepting Bio-Gas plant installed in houses).
  2. Hydro Electric Schemes (up to 10 Megawatt).
  3. Energy conservation.
  4. Energy efficiency.
  5. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the finance Department and the General Administration Department), e.g. Appointments, postings, transfers, pay, leave, pension, promotions, provident funds,deputations, punishments and memorials.
- (B) **Acts and rules administered by the Department :**
1. The Energy Conservation Act, 2001
  2. The Indian Electricity Act, 2003 (provision related to Non-Convenstional Energy).
- (C) **Directorates and offices coming under the Department :**
- NIL.
- (D) **Boards and Corporations set up under Acts :**
1. Madhya Pradesh Energy Development Corporation.
- (E) **Other institutions and bodies not covered under (D) above :**
- NIL.
- (F) **Name of the Service, if any, coming under the Department and special service matters, if any :**
- NIL.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.